

जल संरक्षण में भारत सरकार की पहल

Dr. Kalpana B. Ganvit, Associate Professor, G. D. Modi College of Arts, Palanpur,
Gujarat

पृथ्वी के सभी जीवों के लिए जल एक बहुमूल्य संपदा है। इसके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। जल ही जीवन है, इसके बिना सब निर्जन है। पृथ्वी पर उपलब्ध बहुमूल्य संसाधनों में जल का महत्वपूर्ण स्थान है। "जल संरक्षण का करो जतन, जल है एक अनमोल रतन"। भारत में जल संरक्षण एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता बन गई है, जहां सतत विकास, आर्थिक विकास और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए जल संसाधनों का प्रभावी प्रबंधन आवश्यक है। भारत सरकार ने देश भर में जल संरक्षण को बढ़ावा देने और भंडारण के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के उद्देश्य से कई पहल और योजनाएं लागू की हैं। ये प्रयास न केवल जल सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में हैं बल्कि घरों और उद्योगों को समान रूप से महत्वपूर्ण लाभ भी प्रदान करते हैं। डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मानते थे कि बाढ़ नियंत्रण की जगह पानी का संरक्षण एक अनिवार्य कानून के रूप में रखा जाना चाहिए। पानी एक संपत्ति है, जिसे प्रकृति ने बिना किसी भेदभाव के दिया है और इसे बिना भेदभाव के लोगों के बीच पहुंचाना ही संवर्धन है।

भारत में इस युग में जल नीतियां मुख्य रूप से सिंचाई को बढ़ाकर कृषि उत्पादकता बढ़ाने पर केंद्रित हैं। सिंचाई और बिजली उत्पादन के लिए पानी का उपयोग करने के लिए परियोजनाओं में निवेश किया गया। प्राथमिक ध्यान कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना और भारतीय भोजन को पर्याप्त बनाना था।

70 के दशक में हरित क्रांति ने खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कृषि परिवर्तन किया। अधिक उपज देने वाली फसल की किस्मों और आधुनिक कृषि तकनीकों के लिए व्यापक सिंचाई की आवश्यकता होती है और इससे आधुनिक कृषि पद्धतियों की जल-गहन प्रकृति के कारण पानी की मांग में वृद्धि हुई है। गांधीजी का मानना था कि पृथ्वी, वायु, भूमि तथा जल हमारे पूर्वजों से प्राप्त संपत्तियां नहीं हैं। वह हमारे बच्चों की धरोहर है वह जैसी हमें मिली है वैसे ही उन्हें भावि पीढ़ियों को सौंपना होगा।

इस अवधि में भारत में तेजी से शहरीकरण और औद्योगीकरण देखा गया। शहरी भारत और उद्योगों में पानी की बढ़ती मांग के कारण कमजोर संसाधनों पर दबाव पड़ा और पानी की कमी पैदा हुई। जलभृतों और सतही जल निकायों के अत्यधिक दोहन के कारण ऐसी स्थिति पैदा हो गई जहां पानी की कमी ने चिंताजनक रूप धारण कर लिया। जल का प्रयोग बड़ी सावधानी से करें, क्योंकि पानी बचाना एक पूजा समान है। पानी पर सभी का समान हक है। हम जरूरत से ज्यादा पानी खर्च करके दूसरों के हक का पानी उपयोग करते हैं। एक-एक बूंद बहुत कीमती है। इसे व्यर्थ न बहाओं। 1987 में, एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन, संरक्षण और पानी के समान वितरण की आवश्यकता से निपटने के लिए राष्ट्रीय जल नीति तैयार की गई थी। यह बाद की नीतियों की आधारशिला थी जो जल क्षेत्र में सतत विकास की आवश्यकता पर आधारित थी।

1990 और उसके बाद आर्थिक सुधारों के फलस्वरूप जल क्षेत्र में आमूल-चूल परिवर्तन आया। जल प्रबंधन के लिए निजी भागीदारी और बाजार-संचालित दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के रास्ते के रूप में मान्यता दी गई। हालांकि इनका लक्ष्य दक्षता और वित्तीय स्थिरता था, जल संसाधनों तक समान पहुंच एक उपेक्षित क्षेत्र था। सदी के अंत में, नीतिगत ढांचे में जल प्रबंधन के लिए नदी बेसिन दृष्टिकोण पर ध्यान देना शुरू किया

गया। एक समग्र दृष्टिकोण में नदी घाटियों के भीतर भारत के जल संसाधनों को आपस में जोड़ने पर विचार किया गया। जल निकायों की स्थिरता और संरक्षण को प्रमुखता मिलने लगी। अब ध्यान जल संसाधनों के संरक्षण और सतत उपयोग पर केंद्रित हो गया है।

जलवायु परिवर्तन के कारण 2008 में राष्ट्रीय जल मिशन का निर्माण हुआ। इसमें स्थायी जल प्रबंधन, जल उपयोग दक्षता में सुधार और सभी क्षेत्रों में जल संरक्षण प्रथाओं को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया गया। इसने जलवायु परिवर्तन अनुकूलन और शमन रणनीतियों में पानी की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया। जैसा कि हाल के वर्षों में जलवायु परिवर्तन ने अपना बदसूरत पक्ष दिखाया है, यह अब एक महत्वपूर्ण कारक बन गया है। अब ध्यान जलवायु-लचीली जल नीतियों पर केंद्रित हो गया है, क्योंकि बदलते मौसम, परिवर्तित मानसून वर्षा और चरम मौसम की घटनाएं लगातार हो रही हैं। हाल के वर्षों में भारत उभरती चुनौतियों से निपटने और टिकाऊ जल प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए अपनी जल नीतियों को विकसित करना जारी रखता है। 2010 के बाद की अवधि में कुशल जल संसाधन प्रशासन के लिए कई पहल और नीतिगत विकास किए गए हैं। एक बहुआयामी दृष्टिकोण जो पानी को एक प्रमुख संसाधन के रूप में देखता है, लंबे समय में एक स्थायी दृष्टिकोण की आवश्यकता को पहचानता है।

राष्ट्रीय जल मिशन के व्यापक ढांचे के हिस्से के रूप में, जल प्रबंधन के लिए एक स्थायी और न्यायसंगत दृष्टिकोण के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पहल तैयार की गई है। इनमें से, डॉ. आंबेडकर ने दामोदर घाटी योजना जैसी परियोजनाओं में योगदान दिया। केंद्रीय जल आयोग की स्थापना की। 1940 में बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई और बिजली उत्पादन पर केंद्रित एक नई जल नीति विकसित की। कई नदियों से जुड़े प्रोजेक्ट आंबेडकर ने 40 के दशक में बनाए। इसीलिए डॉ. आंबेडकर को देश का "वाटर मैन" कहना उचित है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि डॉक्टर भीमराव आंबेडकर की दूरदर्शिता और सोच ने देश के जल संसाधनों को मजबूत करने, उनके प्रबंधन और बाँध निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तथ्य ये कहते हैं कि डॉक्टर आंबेडकर भारत में जल और नदी नौवहन नीति के भी निर्माता रहे हैं।

जल जीवन मिशन (जेजेएम): 2019 में शुरू किया गया, जेजेएम का लक्ष्य 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में पाइप से पानी की आपूर्ति प्रदान करना है। यह विकेंद्रीकृत जल प्रबंधन, सामुदायिक भागीदारी और स्थानिय बुनियादी ढांचे के विकास के माध्यम से टिकाऊ जल आपूर्ति पर जोर देता है। इस मिशन का उद्देश्य विशेष रूप से महिलाओं के लिए जल संग्रहण के बोझ को कम करना और सुरक्षित पेयजल तक पहुँच सुनिश्चित करके समग्र स्वास्थ्य परिणामों में सुधार करना है।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई): 2015 में शुरू की गई, पीएमकेएसवाई का उद्देश्य कृषि में जल उपयोग दक्षता को बढ़ाना है। यह सूक्ष्म सिंचाई (ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई), वाटरशेड प्रबंधन और वर्षा जल संचयन जैसी तकनीकों को बढ़ावा देता है। पानी के उपयोग को अनुकूलित करके, पीएमकेएसवाई का लक्ष्य कृषि उत्पादकता बढ़ाना, खाद्य सुरक्षा का समर्थन करना और किसानों की आजीविका में सुधार करना है।

अटल भूजल योजना (ABHY): 2018 में पेश की गई, ABHY स्थायी भूजल प्रबंधन पर केंद्रित है। यह भूजल पुनर्भरण, मांग-पक्ष प्रबंधन और जल-तनाव वाले क्षेत्रों में कुशल जल उपयोग प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए समुदाय के नेतृत्व वाली पहल पर जोर देता है। भूजल संसाधनों की स्थायी उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एबीएचवाई अत्यधिक दोहन वाले जलभृतों को लक्षित करता है।

राष्ट्रीय जल मिशन (एनडब्ल्यूएम): जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत गठित, एनडब्ल्यूएम का उद्देश्य पानी का संरक्षण करना, बर्बादी को कम करना और विभिन्न क्षेत्रों में समान वितरण सुनिश्चित करना है। यह तकनीकी हस्तक्षेपों, नीतिगत पहलों और जन जागरूकता अभियानों के माध्यम से जल उपयोग दक्षता को बढ़ावा देता है। एनडब्ल्यूएम जल स्थिरता प्राप्त करने के लिए कृषि, उद्योग और घरेलू खपत सहित क्षेत्रों को लक्षित करता है। मिशन अमृत सरोवर यह मिशन जल संचयन और संरक्षण को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रत्येक जिले में काम से कम पांचों तेरा अमृत सरोवर हो के निर्माण तथा पुनरुद्धार पर केंद्रित है। पंजाब सरकार की "पानी बचाओ पैसा कमाओ" योजना, जो किसानों को भूजल उपयोग कम करने के लिए प्रोत्साहित करती है, एक आशाजनक मॉडल है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा): मुख्य रूप से एक ग्रामिण रोजगार योजना होने के बावजूद, मनरेगा में जल संरक्षण और प्रबंधन के प्रावधान शामिल हैं। यह जल संचयन संरचनाओं, चेक बांधों और खेत तालाबों के निर्माण का समर्थन करता है, जिससे जल की उपलब्धता और टिकाऊ कृषि पद्धतियों में योगदान होता है।

ये सरकारी पहल और योजनाएं घरों और उद्योगों को कई लाभ प्रदान करती हैं:

- जेजेएम का लक्ष्य ग्रामिण घरों में विश्वसनीय और सुरक्षित पाइप जलापूर्ति सुनिश्चित करना, पानी लाने में लगने वाले समय और प्रयास को कम करना और समग्र स्वास्थ्य और स्वच्छता में सुधार करना है।
- सूक्ष्म सिंचाई और वाटरशेड प्रबंधन तकनीकों पर पीएमकेएसवाई का ध्यान किसानों को पानी के उपयोग को अनुकूलित करने में मदद करता है, जिससे फसल की पैदावार में वृद्धि, कृषि आय में सुधार और खाद्य सुरक्षा में वृद्धि होती है।
- एनडब्ल्यूएम के तहत पहल उद्योगों को जल-कुशल प्रौद्योगिकियों और प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है, जिससे पानी की खपत कम होती है, परिचालन दक्षता में सुधार होता है और पर्यावरणीय नियमों का अनुपालन होता है।
- एबीएचवाई और एनडब्ल्यूएम पहल भूजल पुनर्भरण, टिकाऊ जल प्रबंधन प्रथाओं और अनुकूल रणनीतियों को बढ़ावा देकर जलवायु परिवर्तन प्रभावों के प्रति सामुदायिक लचीलेपन को मजबूत करती है।
- कई योजनाएं सामुदायिक भागीदारी और विकेंद्रीकृत शासन पर जोर देती हैं, जिससे स्थानीय समुदायों को जल संरक्षण प्रयासों का स्वामित्व लेने और उनकी स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए सशक्त बनाया जाता है।
- राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी पहलों को बढ़ावा देने के साथ-साथ जल की अधिक खपत वाली फसलों से हटकर फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने से कृषि-जल की खपत में बहुत हद तक कमी आ सकती है। अन्य शहरों को भी इस प्रकार का दृष्टिकोण अपनाना चाहिए तथा शहरी नियोजन में जल पुनर्चक्रण को एकीकृत करना चाहिए।

जल संरक्षण का उद्देश्य ताजे पानी की प्राकृतिक संसाधन का स्थाई प्रबंधन करना, जलमंडल की रक्षा करना और वर्तमान तथा भविष्य की मानवीय मांग को पूरा करना है। जल संरक्षण से जल की कमी से बचना संभव हो जाता है। जल संरक्षण केवल एक जिम्मेदारी नहीं है बल्कि हमारे ग्रह और उसके निवासियों की

भलाई के लिए आवश्यकता है। अपने दैनिक जीवन में छोटे-छोटे बदलावों को लागू करके और बड़ी पहाड़ों का समर्थन करके हम सामूहिक रूप से अपने जल संसाधनों के संरक्षण में महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं।

जल संरक्षण के लिए भारत सरकार की पहल और योजनाएं पानी की कमी को दूर करने, जल सुरक्षा सुनिश्चित करने और देश भर में सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण हैं। जल प्रबंधन प्रथाओं में सुधार, सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने और तकनीकी नवाचारों को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करके, ये कार्यक्रम न केवल घरों और उद्योगों को लाभान्वित करते हैं बल्कि पर्यावरणीय स्थिरता और आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। दीर्घकालिक जल संरक्षण लक्ष्यों को प्राप्त करने और भारत के सभी नागरिकों के लिए एक स्थायी जल भविष्य सुरक्षित करने के लिए इन पहलों में निरंतर प्रतिबद्धता और निवेश आवश्यक है।

संदर्भ

1. दैनिक भास्कर
2. अमर उजाला
3. <https://nexteel.in/flowing-towards-sustainability-indias-government-initiatives-in-water-conservation/>
4. <https://www.ispp.org.in/from-scarcity-to-sustainability-the-evolution-of-water-policies-in-india/> (Indian School of Public Policy)